कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन

क्रमांक / मान्यता–अनुमति / 2006 / 02 उज्जैन, दिनांक 08-/05/ 2006

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
अशा.प्रा.वि. / मा.वि.
स्टेनफोर्ड इन्टरनेशनल गर्ल्स स्कूल इन्दोर रोड उज्जैन

विषय :– अशासकीय संस्थाओं द्वारा सत्र 2006–07 में शालाएँ खोलने संबंधी निर्देश एवं अनुमति ।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत् आपको सूचित किया जाता है कि शपथ–पत्र के आधार पर आपकी संस्था अशासकीय स्टेनफोर्ड इन्टरनेशनल गर्ल्स स्कूल उज्जैन कक्षा 1 से 8 तक की अनुमति दी जा रही है । यह पावती ही आपकी विभागीय अनुमति है ।

आप निम्नानुसार प्रा.वि. / मा.वि. में कक्षा 1 से 8 तक के विभागीय नियमों एवं निर्धारित मापदण्ड तथा शर्तो का पूर्ण परिपालन अनिवार्य रूप से करें ।

1. शाला में समस्त कार्यरत् शिक्षक / कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त करें एवं वेतन का भुगतान चैक के माध्यम से करें । विद्यालय का लेखा–जोखा निर्धारित पंजी में व्यवस्थित रखा जावे ।
2. विद्यालय में विभिन्न प्रकार के दान, शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों का विवरण निरीक्षणकर्ता अधिकारी को चाहे जाने पर जांच हेतु अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जावे । इसके अतिरिक्त संस्था का व शाला का आडिट प्रत्यैक वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा कराया जाकर, प्रस्तुत करें ।
3. संस्था में शिक्षकीय स्टॉफ म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित योग्यता एवं रचनाक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त रखा जावे ।
4. यदि आपके द्वारा संस्था बंद की जाती है तो इसकी सूचना नियमानुसार एक माह पूर्व इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।
5. विद्यालय में शिक्षण हेतु आवश्यक सभी शैक्षणिक उपकरण, संसाधन, पुस्तकें, फर्नीचर, छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना चाहिये ।
6. विद्यालय में प्रवेश मान्यता प्राप्त संस्था की टी.सी.एवं कक्षा उन्नत की टी.सी. के आधार पर किया जावेगा । कक्षा उन्नत के लिये विभागीय नियमों का पालन किया जावेगा ।
7. प्रति कक्षा 15 छात्र प्रवेशित होना आवश्यक है ।
8. संस्था नगरीय कल्याण विभाग द्वारा अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु बनाये गये नियमों का पालन करेगी । एवं शाला भवन निर्माण में भी इन नियमों का पालन किया जावेगा ।
9. शालेय छात्रों को स्कूल लाने एवं घर पहुँचाने वाले वाहन को सूचीबद्व किया जावेगा । तथा उनसे अनुबंध संपादित करने के पूर्व अनिवार्य रूप से घरेलू एल.पी.जी.गैस से वाहन संचालित नहीं करने की शर्त का पालन किया जावेगा ।
10. उक्त नियम एवं शपथ–पत्र में उल्लेखित आदेशों / ज्ञापों का पालन किया जाना अनिवार्य है । समिति द्वारा शाला संचालन में लागू विभागीय निर्देशों की अवहेलना

एवं शपथ–पत्र में उल्लेखित जानकारी असत्य पाई जाने पर आपकी संस्था के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही की जावेगी । तथा विद्यार्थियों को निकटस्थ शाला में समायोजित करते हुए विभाग द्वारा दी गई अनुमति निरस्त कर दी जावेगी । इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों में निष्पादित बाण्ड राशि राजसात् कर ली जावेगी । जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपकी संस्था का रहेगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उज्जैन

–:: पावती ::–

शपथ–पत्र के आधार पर निर्धारित पंजी के अनुक्रमांक–02––––– दिनांक –08-05-06– (नाम एवं पदमुद्रा) को पंजीकृत किया गया है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला उज्जैन

C:\Documents and Settings\NEWUSER\My Documents\manyta\manyta.doc